

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न० 71/19

तारीखरजु:- 17-10-19

उनवान:- पुष्पा बनाम लोकेश वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
17-10-19	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 14.11.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख० न० 105/1855/0.20, 941/0.21, 942/0.21, 943/0.34, 944/0.24, 1062/0.05, 1063/0.13, 1064/0.12, 1084/0.22, 1085/0.21, 1086/0.13, 1089/0.05, 1414/0.38, 1426/0.51, 1478/0.25, 1611/0.17, 1615/1960/0.05, 1624/0.20, 1625/0.02, 1649/0.20, 1658/0.19, 1676/0.31, 1679/0.07, 291/0.25, 499/0.28, 607/0.20, 622/0.11, 623/0.06, 852/0.18, 856/0.19, 89/0.10, 94/0.05, 95/0.05, कुल कित्ता 33 कुल रकवा 5.93 है० ग्राम मान्नीज तहसील टोडाभीम जिला करौली में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस अज्ञय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार टोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की द्वा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 14.11.2019 को पेश हो।</p>

078-83  
2-10-19

उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला कसौली

फर्द अहकाम

दिनांक

14-11-19

अर्धी ककील उपस्थित | अर्धी नं. 1, 2, 3 साथ उपस्थित |  
अर्धी नं. 4, 5, 6 के समान वादक में नामील हो-उके ली  
नामिल मानी जाती छी उपस्थित नही होने से इनके विकर  
एछ पक्षीय कार्यवाही नही जाती है। श्री विष्णु कटक व सुरेश  
चंद्रशर्मा AN. ने ककालनामा के साथ प्रार्थना पत्र 01 R-10  
जाहा दीवानी प्रस्तुत किया। मूल जबाब व दर. का जबाब पेश  
कले दिनांक 5.12.19 को पेश हो।

ना 32)

4/11/19  
20-11-19

1

5-12-19

वकुलाय उप। दर. का जबाब पेश कले दिनांक 6.12.20 को  
पेश हो।

6.1.20

वकुलाय उप। ततनुसार दर. का जबाब पेश कले दिनांक  
17.2.20 को पेश हो।

13.1.20

प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के ककील ने उपस्थित होकर प्रार्थना  
पत्र वाकत पत्रावली तलब कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधान  
स्वार्जि करने पेश किया जिस पर पत्रावली तलब नही गई।  
प्रार्थिया व प्रार्थिया के ककील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निवे.  
Not-Press कर स्वार्जि करने का कथन किया। अतः पर  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधान Not-Press में स्वार्जि  
किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से  
कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Not Press

13-1-20

उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (कसौली)

